

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या: एस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/51-U/2015-16/7188-75 दिनांक: 7/10/15

विषय:- मदर चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (एम0सी0टी0एस0), ऑनलाइन पोर्टल पर आंकड़ों को शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण एवं वार्षिक इन्फॉस्ट्रक्चर को समय से अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार द्वारा संचालित मदर एण्ड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम (MCTS) पोर्टल पर राज्य में गर्भवती महिलाओं तथा बच्चों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है, तत्पश्चात् लाभार्थियों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का अपडेशन पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाता है जिसके अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं की ए0एन0सी0 सेवाओं की रिपोर्टिंग, बच्चों के टीकाकरण सेवाओं की रिपोर्टिंग, प्रसव में जटिलता अथवा रक्तअल्पता वाली गर्भवती माताओं की ट्रैकिंग एवं कम वजन के बच्चों की ट्रैकिंग हेतु पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से डाटा के ऑनलाइन फीडिंग के कार्य को सम्पादित किया जा रहा है। जिसका उद्देश्य एम0सी0टी0एस0 पोर्टल की सहायता से सभी लाभार्थियों को निर्धारित समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर राज्य की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शासनादेश सं0-601/पाँच-9-2015-9(127)/2012टी0सी0 दिनांक 27 अप्रैल, 2015 के सन्दर्भ में एम0सी0टी0एस0 को प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल पर शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा अपलोड किया जाना आदेशित है।

एम0सी0टी0एस0 कार्यक्रम के उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:-

- एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर लाभार्थियों (गर्भवती माताओं एवं बच्चों) का पंजीकरण वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जाए।
- लाभार्थियों के पंजीकरण के उपरान्त, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट किया जाए। जिसके अन्तर्गत निम्न सेवाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य है:-

- ✓ गर्भवती माताओं की चारों ए0एन0सी0 सेवाओं एवं डिलेवरी की रिपोर्टिंग,
- ✓ गर्भवती माताओं में एनीमिया 7 ग्राम/डी0एल0 से कम, एनीमिया 11 ग्राम/डी0एल0 से कम, कॉप्लीकेशन एवं मदर डेथ की रिपोर्टिंग,
- ✓ बच्चों के टीकाकरण एवं कम वजन के बच्चों की पोर्टल पर रिपोर्टिंग के कार्य को शत-प्रतिशत किया जाए।

- लाभार्थियों (गर्भवती माताओं एवं बच्चों) से सम्बन्धित सभी जानकारी नव-विकसित आर0सी0टी0एस0 रजिस्टर में ससमय भरी जाए, एवं भरी गयी जानकारी को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट किया जाए।
- एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों (गर्भवती माताओं एवं बच्चों) का वर्कप्लान नियमित रूप से जनरेट एवं प्रिन्ट कर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं को भरने हेतु वितरित करें एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भरे गए आंकड़ों को एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपडेट करना भी सुनिश्चित करें।
- स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को प्रदान की गयी स्वास्थ्य सेवाओं का अपडेशन मोबाइल द्वारा यू0एस0एस0डी0 सेवा का उपयोग कर किया जाए।
- एम0सी0टी0एस0 पोर्टल से प्रतिमाह नॉटरिपोर्टिंग फ़ैसिलिटीज की रिपोर्ट सेड्यूल्ड रिपोर्ट की एल0-रिपोर्ट से निकालकर इसकी समीक्षा करें एवं पोर्टल पर दर्ज सभी फ़ैसिलिटीज द्वारा प्रतिमाह शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण डाटा भरवाना सुनिश्चित करें। (संलग्नक:- जनपदवार शून्य रिपोर्टिंग ब्लॉकों की सूची)

अतः उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर कार्यवाही करें एवं साथ ही आने वाली कमियों को चिन्हित कर आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करें:-

- ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर पोर्टल की रिपोर्ट्स एवं एम0सी0टी0एस0 डैशबोर्ड के आधार पर नियमित समीक्षा की जाए।
- प्रत्येक स्तर पर आंकड़ों को भरने एवं आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए पोर्टल पर दर्शाये जाने वाले आंकड़ों के भरे जाने में आवश्यक सावधानी रखी जाये जिससे किसी भी स्तर पर दर्शायी जा रही सेवायें, पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों से भिन्न न हो।
- डाटा की गुणवत्ता में सहायक पर्यवेक्षण के माध्यम से सुधार लाना तथा कार्यक्रम की समीक्षा एवं अनुश्रवण में इन आंकड़ों का उपयोग किया जाए। साथ ही पर्यवेक्षण के उपरान्त पायी गई कमियों के निराकरण हेतु समन्वित प्रयास किए जायें।
- ए0एन0एम0 द्वारा प्रदान की जा रही सभी स्वास्थ्य सेवाओं का अंकन पोर्टल पर समय से किया जाए।
- ए0एन0एम0 द्वारा माताओं तथा बच्चों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का पोर्टल पर अंकन करने तथा साप्ताहिक व मासिक सूचनायें तैयार करने में डाटा मैनेजर तथा ए0आर0ओ0 द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी के मार्गदर्शन में आवश्यक सावधानी रखते हुए कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। ब्लॉक के प्रबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्लॉक स्तर पर किये जा रहे कार्यों का पोर्टल पर उचित प्रकार से तथा समय से क्रियान्वयन हो सके।
- प्रत्येक ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन ए0एन0एम0 द्वारा कार्ययोजना के अनुरूप शत-प्रतिशत सेवा प्रदान की जाए तथा चेकलिस्ट/टैलीशीट में दी गयी सेवा के प्रकोष्ठ में दिनांक का अंकन किया जाये। साथ ही प्रत्येक गर्भवती महिला एवं बच्चे के लिए मातृ एवं शिशु रक्षा कार्ड बनाए जायें।
- ब्लॉक वैलीडेशन कमेटी एवं जिला वैलीडेशन कमेटी के सभी सदस्य आंकड़ों के शत-प्रतिशत अपडेशन के पूर्णतः जिम्मेदार होंगे, साथ ही अपलोड की जाने वाली सूचनाओं की गुणवत्ता के लिए भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

आप अवगत है कि एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर 100 प्रतिशत फेसलिटीवार डाटा 31 जुलाई, 2015 तक उपलब्ध कराना था (सूची संलग्न)। अत्यन्त खेद का विषय है कि आपके जनपद द्वारा अभी तक यह सूचना पोर्टल पर पूर्णतः अपलोड नहीं कराई गयी है। भारत सरकार ने एच0एम0आई0एस0 समीक्षा दिनांक 06.08.2015 में यह अवगत कराया है कि वार्षिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का डाटा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए एच0एम0आई0एस0 पोर्टल पर पूर्णतः उपलब्ध नहीं है एवं उपलब्ध कराये गए आँकड़ों की डाटा गुणवत्ता काफी खराब है। भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर डाटा पोर्टल पर डाटा गुणवत्ता सहित उपलब्ध कराए। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि गत वर्ष 2014-15 व्यतीत हो जाने के कारण अब वार्षिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर का डाटा पोर्टल पर उपलब्ध कराना न्यायसंगत नहीं है।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से आंकड़ों को शत-प्रतिशत एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अपलोड करना एवं वार्षिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर को समय से अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-

- (क) जनपदवार गर्भवती माता सम्बन्धी शून्य पंजीकरण वाले ब्लॉकों की सूची। (पृष्ठ 1)
- (ख) जनपदवार गर्भवती माता सम्बन्धी शून्य अपडेशन वाले ब्लॉकों की सूची। (पृष्ठ 2-4)
- (ग) जनपदवार बच्चों सम्बन्धी शून्य पंजीकरण वाले ब्लॉकों की सूची। (पृष्ठ 5)
- (घ) जनपदवार बच्चों सम्बन्धी शून्य अपडेशन वाले ब्लॉकों की सूची। (पृष्ठ 6-11)
- (ङ) जनपदवार वार्षिक इन्फ्रॉस्ट्रक्चर की अद्यतन स्थिति।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

पत्रसंख्या: एस0पी0एम0यू0/एम0आई0एस0/एम0सी0टी0एस0/51-U/2015-16

तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य महानिदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति जनपद।
7. समस्त महाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।
8. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश मण्डल।
9. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उत्तर प्रदेश जनपद।
10. अधिशासी निदेशक, तकनीकी सहयोग इकाई, उत्तर प्रदेश।

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव